राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4478/2005

मांगी लाल डाबी

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : सुश्री तान्या मेहता

प्रतिवादी(गण) के लिए : डॉ. भावना जांगिड़, वी.सी. के माध्यम से

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

22/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 21.04.2003 के आदेश/पत्र (अनुलग्नक 9) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध वसूली आदेश दिया गया था।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 30.10.1975 से टाइम कीपर (श्रेणी-IV) के रूप में नियुक्त किया गया था और दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद, उसे दिनांक 18.12.1981 के आदेश के तहत अर्ध-स्थायी दर्जा दिया गया था। इसके बाद, उसे दिनांक 04.04.1986 के आदेश के तहत 30.10.1985 से 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर टाइम कीपर के पद पर स्थायी दर्जा दिया गया था।

2.1 इसके बाद याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 के विभाग से दिनांक 31.05.1995 के आदेश द्वारा अधिशेष घोषित कर दिया गया तथा उसे स्टोर कीपर के पद से एल.डी.सी. (श्रेणी-III) के पद पर शिक्षा विभाग में समाहित करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में कार्मिक अधिकारी, माही बजाज

सागर परियोजना, बांसवाड़ा ने दिनांक 15.06.1995 को पत्र जारी कर याचिकाकर्ता को शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया तथा याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.06.1995 से एल.डी.सी. के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

2.2 इसके बाद याचिकाकर्ता को उसके पैतृक विभाग (माही परियोजना, बांसवाड़ा) में प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि 30.10.1975 से सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 के अनुसार 9 और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान प्रदान किया गया।

2.3 लेखा निरीक्षण अधिकारी द्वारा मार्च, 1998 से जुलाई, 2000 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा निरीक्षण पर लेखापरीक्षक द्वारा कुछ लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाई गईं और यह बताया गया कि कार्यभारित कर्मचारी दिनांक 30.09.1998 के आदेश के पैरा संख्या 5 में जारी निर्देशों के अनुसार चयन वेतनमान का लाभ पाने के हकदार हैं और इस प्रकार यह अनुशंसा की गई कि याचिकाकर्ता को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से 9 और 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्वीकार्य चयन वेतनमान का लाभ गलत तरीके से दिया गया था और उसे 25.01.1992 से जुलाई, 2000 तक की अवधि के लिए 52,194/- रुपये की अतिरिक्त राशि वसूल करने की सलाह दी गई थी।

2.4 दिनांक 08.09.2000 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता का वेतन पुनः निर्धारित करने हेतु दिनांक 12.12.2000 का कार्यालय आदेश जारी किया। । दिनांक 17.01.2001 के आदेश के तहत प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वसूलने की सिफारिश की।

2.5 इसके बाद प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 21.04.2003 को एक पत्र जारी कर याचिकाकर्ता को सूचित किया कि 3/1998 से 7/2000 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर 52194/- रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था, जिसे वसूल किया जाना है और याचिकाकर्ता के मासिक वेतन से अतिरिक्त राशि की कटौती करने के लिए लेखा अनुभाग को निर्देश दिया है। इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अध्ययन किया है।

4. यहाँ एक छोटा सा विवाद उभर कर आता है; क्या याचिकाकर्ता का मामला पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य: (2015) 4 एससीसी 334 में निर्धारित अनुपात के अंतर्गत आता है?

5. उत्तर सकारात्मक है। आइए देखें कैसे।

6. उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा-18, जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिनके तहत वसूली की जा सकती है, नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

> "18. कठिनाई की सभी स्थितियों की कल्पना करना संभव नहीं है, जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया है। जैसा भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें नियोक्ता द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी:
>
> (i) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह 'सी' और समूह 'डी' सेवा) के कर्मचारियों से वसूली।
>
> (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों या ऐसे कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
>
> (iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।
>
> (iv) ऐसे मामलों में वसूली, जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया हो और उसे तदनुसार भुगतान किया गया हो, भले ही उसे सही मायने में निम्न पद के विरुद्ध काम करने के लिए कहा जाना चाहिए था।
>
> (v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर

या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार
के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।

7. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता (प्रारंभ में चतुर्थ श्रेणी, बाद में तृतीय श्रेणी) का मामला रफीक मसीह में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है।

8. उत्तर में या अन्यथा इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को विभाग द्वारा गलत तरीके से लाभ प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ता पर कोई गलत बयानी या जानकारी छिपाने का आरोप नहीं लगाया गया है। इसलिए रफीक मसीह (उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात के अनुसार यहां दिए गए आदेश संधारणीय नहीं हैं।

9. तदनुसार, दिनांक 21.04.2003 के आदेश (अनुलग्नक 9) को आगामी परिणामों के साथ रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता से की गई वसूली, यदि कोई हो, लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।